

# प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 08.04.2025

नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित एवं अवैध नियुक्ति पत्र देने के आरोप में 01 नफर  
अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पिपराईच के नेतृत्व में, 30नि0 विनय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 867/2024 धारा 420,406,506,467,468,471 भादवि से संबंधित अभियुक्त रविचन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के पुत्र को एम्स अस्पताल में नौकरी में दिलाने के लिए 2,45,000 रुपये लेकर, कूटरचित एवं अवैध नियुक्ति पत्र देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रविचन्द्र शर्मा पुत्र रामेश्वर शर्मा निवासी 43 जेल रोड शाहपुर निकट गीता वाटिका थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 867/2024 धारा 420,406,506,467,468,471 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी की टीम-

- 30नि0 विनय कुमार सिंह थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
- कां0 विजय सिंह थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
- कां0 रामअशोक यादव थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर